न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

पीठासीन अधिकारी :– कीर्ति राठौड़, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 04 / 2025 (राजसमन्द डिक्री)

1. त्रिलोक नारायण पुरोहित पिता उंकार लाल पुरोहित, जाति ब्राह्मण, निवासी गांव केलवा, हाल 21, कर्मशील मार्ग, चांदपोल बाहर, उदयपुर
2. राकेश पिता उंकार लाल पुरोहित, ब्राह्मण निवासी गांव केलवा, हाल 21 कर्मशील मार्ग, चांदपोल बाहर, उदयपुर (राज.)

.... अपीलार्थीगण

बनाम

1. जगदीश चन्द्र पिता अमरलाल पुरोहित, ब्राह्मण निवासी गांव केलवा, तहसील राजसमन्द जिला राजसमन्द (राज.)
2. उम्मेदलाल पिता उदयलाल (पिता छगन) जरिये वारिसान :–

2 / 1. श्रीमती लाडबाई पत्नी स्व. उम्मेदलाल निवासी गांव केलवा, तहसील राजसमन्द, जिला राजसमन्द (राज.)

2 / 2. देवीलाल उर्फ देवेन्द्र राज पिता स्व. उम्मेदलाल निवासी गांव केलवा, तहसील राजसमन्द, जिला राजसमन्द (राज.)

2 / 3. दुर्गाप्रसाद पिता स्व. उम्मेदलाल निवासी गांव केलवा, तहसील राजसमन्द, जिला राजसमन्द (राज.)

2 / 4. रोशनलाल पिता स्व. उम्मेदलाल निवासी गांव केलवा, तहसील राजसमन्द, जिला राजसमन्द (राज.)

3. उदयलाल पिता भूरालाल पुरोहित जरिये वारिसान :–

3 / 1. अमृतलाल पिता स्व. उदयलाल पुरोहित, निवासी गांव केलवा, तहसील राजसमन्द, जिला राजसमन्द (राज.)

3 / 2. विद्याधर पुरोहित पिता स्व. उदयलाल पुरोहित, निवासी गांव केलवा, तहसील राजसमन्द, जिला राजसमन्द (राज.)

3 / 3. दुर्गाशंकर पिता स्व. उदयलाल के बजाय वारिसान :–

3 / 3 / 1. श्रीमती कान्ता पत्नी स्व. दुर्गाशंकर पुरोहित निवासी गांव केलवा, तहसील राजसमन्द, जिला राजसमन्द (राज.)

3 / 3 / 2. पुरूषोत्तम पुरोहित पिता स्व. दुर्गाशंकर पुरोहित निवासी गांव केलवा, तहसील राजसमन्द, जिला राजसमन्द (राज.)

3 / 3 / 3. सोमप्रकाश पुरोहित पिता स्व. दुर्गाशंकर पुरोहित निवासी गांव केलवा, तहसील राजसमन्द, जिला राजसमन्द (राज.)

3 / 3 / 4. श्रीमती नूतन पिता स्व. दुर्गाशंकर पुरोहित, निवासी गांव केलवा तहसील राजसमन्द, जिला राजसमन्द (राज.)

4. भीम शंकर पिता स्व. दुर्गाशंकर पुरोहित निवासी गांव केलवा, तहसील राजसमन्द, जिला राजसमन्द (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2026.02.10 14:48:40 IST
Reason: SelfAttested

भू-प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर (राज.)

5. राधेश्याम पिता स्व. गिरीश चन्द्र, ब्राह्मण निवासी गांव केलवा, तहसील राजसमन्द, जिला राजसमन्द (राज.)
6. विष्णु पिता स्व. गिरीश चन्द्र, ब्राह्मण निवासी गांव केलवा, तहसील राजसमन्द, जिला राजसमन्द (राज.)
7. महेश पिता स्व. गिरीश चन्द्र, ब्राह्मण निवासी गांव केलवा, तहसील राजसमन्द, जिला राजसमन्द (राज.)
8. श्रीमती पदम बाई पिता स्व. गिरीश चन्द्र, पत्नी मोतीलाल जोशी, ब्राह्मण निवासी ईलाजी का चौक, गंगा गली, गणेशघाटी, उदयपुर (राज.)
9. श्रीमती नर्बदा कुम्हार पत्नी सोहनलाल कुम्हार, निवासी गांव केलवा,, तहसील राजसमन्द, जिला राजसमन्द (राज.)
10. देवीलाल पिता वरदीचंद कोठारी, ब्राह्मण निवासी गांव केलवा, तहसील राजसमन्द, जिला राजसमन्द (राज.)
11. सुरेन्द्र कुमार पिता वरदीचंद कोठारी, निवासी गांव केलवा, तहसील राजसमन्द, जिला राजसमन्द (राज.)
12. गोपीलाल पिता नानालाल तेली, निवासी गांव केलवा, तहसील राजसमन्द, जिला राजसमन्द (राज.)
13. नाना पिता भुरा तेली, निवासी गांव केलवा, तहसील राजसमन्द जिला राजसमन्द (राज.)
14. सोहन पिता भुरा तेली, निवासी गांव केलवा, तहसील राजसमन्द, जिला राजसमन्द (राज.)
15. जब्बार अली पिता बाबुभाई लौहार (मुसलमान) निवासी कांकरोली, तहसील राजसमन्द, जिला राजसमन्द (राज.)
16. युवराज सिंह पिता नाथूसिंह नाबालिग बाविलायत माता श्रीमती निर्मला कुंवर निवासी भुण्डल, तहसील राजसमन्द, जिला राजसमन्द (राज.),
17. श्रीमती निर्मला कुंवर, पत्नी नाथू सिंह राजपुत, निवासी भुण्डल, तहसील राजसमन्द, जिला राजसमन्द (राज.)
18. श्रीमती तेजबाई पत्नी जगदीश चन्द्र पुरोहित, ब्राह्मण निवासी केलवा, तहसील राजसमन्द, जिला राजसमन्द (राज.)
19. किशन लाल पिता लक्ष्मण पालीवाल, ब्राह्मण निवासी केलवा, तहसील राजसमन्द जिला राजसमन्द (राज.)
20. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजसमन्द, जिला राजसमन्द (राज.)

.... रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान
काश्तकारी अधिनियम–1955 विरूद्ध
निर्णय एवं डिक्री उपखण्ड अधिकारी
राजसमन्द दिनांक 20.12.2024 प्रक
संख्या 52/2019 वाद पत्र

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2026.02.10 14:48:40 IST
Reason: SelfAttested

उपस्थित :– 1– श्री विष्णु शंकर पालीवाल अभिभाषक अपीलार्थी
2– श्री महेश पगारिया अभिभाषक रेस्पो॰ सं॰ 1

———::———

भू-प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर (राज.)

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी ★ उदयपुर ★ सत्यमेव जयते

निर्णय **दिनांक 28–01–2026**

1. अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय में हाल अपीलान्टगण ने एक वाद अन्तर्गत धारा 53, 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया की मौजा केलवा में खाता संख्या 274 की साबिक आराजी नम्बर 228, 239, 240, 257, 259, 260, 265/1, 267/1, 268/1, 278, 352/1 कुल किता 11 रकबा 07 बीघा 07 बिस्वा स्थित है, जिसकें हाल आराजी नम्बर 319, 320, 321, 385, 389, 397, 399, 401, 406, 408, 409, 425, 4673/406 कुल किता 13 रकबा 09 बीघा 11 बिस्वा है। उक्त आराजियात वादीगण का 1/2 हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का 1/2 हिस्सा है।

इसी प्रकार मौजा केलवा में खाता संख्या 275 की आराजी नम्बर 266, 2449, 2452/1, 2452/2, 2453, 2454/1, 2454/2, 2455 कुल किता 08 रकबा 02 बीघा 17 बिस्वा भूमि स्थित है, जिसके हाल आराजी नम्बर 410, 2844, 2845, 2847, 2850, 2851 कुल किता 06 रकबा 02 बीघा 06 बिस्वा है। उक्त आराजियात वादीगण का 1/4 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का 1/4 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 3 का 1/4 हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 4 से 8 का 1/4 हिस्सा है।

उक्त भूमियां उदयलाल, उंकारलाल पिता छगनलाल के नाम दर्ज थी जो लगातार संवत् 2028 तक जमाबंदी में दर्ज रही। किन्तु नये सेंटलमेंट जमाबंदी 2032 में उदयलाल का ही नाम अंकित रखा, उंकारलाल का नाम हटा दिया। वादीगण उंकारलाल के वारिस होने से उंकारलाल के हिस्से की घोषणा कराने के अधिकारी है। अतः वादीगण का वाद स्वीकार कर वादपत्र की कलम संख्या 1 वर्णित आराजियात में 1/2 हिस्से का तथा कलम संख्या 2 वर्णित आराजियात में 1/4 हिस्से का खातेदार घोषित किया जाकर उपरोक्त अनुसार मीट्स एण्ड बाउण्ड्स विभाजन किया जावें तथा प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबंद किया जावें।

2. प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा खण्डन का जवाबदावा प्रस्तुत किया तथा जवाबदावे के विशेष कथन में निवेदन किया कि छगनलाल के दो पुत्र उदयलाल व उंकार थे। उंकारलाल नंदकेशर के [illegible] 1993 से पूर्व ही ग्राम माणक्यास जिला [illegible] में चला गया, जिससे नंदकेशर की [illegible] हुई। नंदकेशर की ग्राम केलवा में कोई भूमि नहीं थी जबकि उंक[illegible]ल के प्राकृतिक पिता छगनलाल के नाम ग्राम केलवा भूमियां थी। छगनलाल की मृत्यु होने पर विरासत से भूमियां दोनो पुत्र उदयलाल व उंकारलाल के नाम

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2026.02.10 14:48:40 IST
Reason: SelfAttested

भू–प्रबंध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर (राज.)

दर्ज हो गई जिसे बाद में मिसल संख्या 114/70 के निर्णय से उंकारलाल का अपने प्राकृतिक पिता छगनलाल की भूमियों से नाम हटा दिया गया, जिससे छगनलाल की भूमियों में उंकारलाल का कोई हक अधिकार नहीं रहा। वादीगण द्वारा तथ्यों को छुपाकर वाद पेश किया गया है, जो चलने योग्य नहीं है। अतः वादी का वाद खारिज किया जावें।

3. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्लीडिंग्स के आधार पर प्रकरण में 8 तनकिया कायम की तथा अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनकर तनकीवार विवेचन करते हुए दिनांक 18.04.2011 को वादीगण का वाद स्वीकार कर प्रारम्भिक डिक्री जारी की। प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा आदेश 9 नियम 13 जा.दी. का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया जो अधीनस्थ न्यायालय द्वारा स्वीकार किया गया। दिनांक 09.04.2012 को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा संशोधित डिक्री जारी की गई। दिनांक 14.09.2015 को प्रतिवादी द्वारा आदेश 14 नियम 2 का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया तथा निवेदन किया कि माननीय न्यायालय द्वारा आज दिनांक को नई तनकी नम्बर 9 का निर्माण किया गया है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर तनकी नम्बर 9 पर सुना जाकर वाद का निस्तांरण किया जावे।

4. उक्त प्रार्थना पत्र पर अधीनस्थ न्यायालय ने उभयपक्ष की बहस सुनकर दिनांक 15.12.2015 को प्रतिवादी प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 14 नियम 2 खारिज कर दिया तथा अन्य तनकीयात के निस्तांरण के साथ ही बाद साक्ष्य तनकी नम्बर 9 का भी निस्तांरण किये जाने का आदेश दिया।

5. अधीनस्थ न्यायालय के उक्त आदेश के विरूद्ध प्रतिवादी संख्या 1 ने माननीय राजस्व मण्डल में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि विचारण न्यायालय को निर्देशित फरमावें कि तनकी नम्बर 9 का निस्तांरण साक्ष्य से पूर्व करें। माननीय राजस्व मण्डल ने उक्त प्रार्थना पत्र पर उभयपक्ष की बहस सुनकर दिनांक 24.04.2019 को प्रार्थना पत्र स्वीकार कर विचारण न्यायालय का आदेश दिनांक 15.12.2015 निरस्त कर दिया तथा विचारण न्यायालय को निर्देशित किया कि वे कानूनी तनकी नम्बर 9 पर उभयपक्ष की बहस सुनकर सर्वप्रथम आदेश पारित करें।

6. माननीय राजस्व मण्डल के रिमाण्ड आदेश की पालना में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पुनः प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया [illegible] नम्बर 9 पर अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस [illegible] तनकी नम्बर 9 स्वीकार कर पत्रावली वास्ते साक्ष्य वादी दि[illegible] 23.09.2024 नियत की। तत्पश्चात् दिनांक 20.12.2024 को यह आ[illegible] पारित किया कि "तनकी नम्बर 9 स्वीकार होकर वाद कानूनन चलने योग्य नही होने

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2026.02.10 14:48:40 IST
Reason: SelfAttested

भू-प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर (राज.)

से प्रकरण में कार्यवाही इसी स्तर पर समाप्त की जाकर प्रकरण का निस्तांरण किया जाता हैं।''

7. अधीनस्थ न्यायालय के उक्त आदेश दिनांक 20.12.2024 से रुष्ट होकर अपीलान्टगण द्वारा दिनांक 19.02.2025 को यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

8. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री महेश पगारिया उपस्थित हुये। शेष रेस्पोडेन्टगण बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे। अपीलान्ट की ओर से अधिवक्ता श्री विष्णु शंकर पालीवाल उपस्थित हुये। अधीनस्थ न्यायालय का रिकॉर्ड तलब किया जाकर अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

9. अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील मेमो वर्णित तथ्यों को पुनः दोहराते हुए बताया कि अधीनस्थ न्यायालय ने तनकी नम्बर 9 इस आशय की विरचित की थी कि ''आया मिसल नम्बर 114/70 के निर्णय द्वारा श्री उंकारलाल जी का अपने प्राकृतिक पिता की भूमियों में से नाम हटाया गया जिसके विरूद्ध कोई अपील अथवा एतराज नहीं किया गया जिससे वादीगण का इस प्रकरण में लोकस स्टैण्डाई नहीं होकर वादपत्र कानूनन चलने योग्य नहीं है।'' प्रकरण में यह स्वीकृत स्थिति है कि केलवा स्थित वादग्रस्त कृषि भूमियां छगनलाल व उसके भाई नन्दकिशोर को विरासत से प्राप्त हुई थी ओर श्री छगनलाल जी अकेले के नाम दर्ज हो गई। श्री नन्दकिशोर कि मृत्यु छगनलाल के जीवनकाल में हुई जिसके बाद नन्दकिशोर जी की विधवा पत्नी ने छगनलाल के पुत्र उंकारलाल को गोद लिया इसलिए उंकारलाल ने जमाबंदी में संशोधन हेतु दिनांक 15.02.1970 को प्रार्थना पत्र पेश किया कि गोद जाने से छगनलाल की भूमि विरासत से उंकारलाल का नाम हटाया जावे परन्तु अपने गोदी पिता नन्दकिशोर के 1/2 हिस्से का त्याग नहीं किया गया था। अधीनस्थ न्यायालय ने तनकी नम्बर 9 को आधार मानकर वादीगण का वाद खारिज करने में गंभीर त्रुटि की है। तथा कथित मिसल संख्या 114/70 की वर्णित कार्यवाही अपीलान्ट/वादीगण द्वारा स्वीकार नहीं की गई थी और ना ही वास्तव में ऐसी कोई [illegible] में कथित मिसल की कार्यवाही व निर्णय रेस्पोडेन्टगण [illegible] प्रक्रिया अनुसार साक्ष्य में प्रदर्शित व सिद्ध [illegible] कानूनन विचारण व अवलंबन ही नहीं [illegible] के लिए कथित मिसल संख्या 114/70 को मान भी ले तो उक[illegible] कार्यवाही व आदेश दिनांक 08.02.1959 पूर्णतया आधारहीन होकर प्रारम्भतः अवैध, शून्य व निष्प्रभावी है, क्योंकि सेंटलमेंट विभाग को राजस्व रिकॉर्ड में इन्द्राज परिवर्तन का कोई अधिकार नहीं है। अचल सम्पत्ति के

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2026.02.10 14:48:40 IST
Reason: SelfAttested

भू-प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर (राज.)

स्वामित्व/खातेदारी का अंतरण या तो त्याग प्रचलित विधि अनुसार निर्दिष्ट स्टांप पर निष्पादित होकर विधिवत् पंजीयन हुए बिना हो ही नहीं सकता। यहा तक की स्वीकारोक्ति से भी खातेदारी अधिकारों का अंतरण नहीं किया जा सकता है। वाद वर्णित भूमि पैतृक होने से अपीलान्ट/वादीगण का जन्म से हक अधिकार निहित है। उक्त भूमि को बिना किसी वैध पारिवारिक आवश्यकता के अंतरित या त्याग करने का अधिकार उंकारलाल जी को नहीं था, न ही उंकारलाल जी द्वारा इस प्रकार का कोई त्याग किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रतिवादी रेस्पोडेन्ट के प्रार्थना पत्र आदेश 14 नियम 2 जा.दी. पर उभयपक्षों की बहस सुनकर उसे दिनांक 15.12.20215 निरस्त किया है तथा अन्य तनकीयों के निस्तारण के साथ ही बाद साक्ष्य तनकी नम्बर 9 का निस्तारण किया जाने का आदेश दिया है। दिनांक 05.08.2024 को तनकी नम्बर 9 स्वीकार कर आदेश पारित करने में भूल की है। उक्त आदेश को न तो अन्तिम किया गया, न ही डिक्री पर्चा बनाया गया है, बल्कि प्रकरण आगे साक्ष्य वादी हेतु दिनांक 23.09.2024, 09.12.2024 एवं दिनांक 20.12.2024 को नियत किया गया था किन्तु दिनांक 20.12.2024 को बिना वादी की साक्ष्य लिए दिनांक 05.08.2024 को तनकी नम्बर 9 को स्वीकार होने का आधार मानते हुए प्रकरण में कार्यवाही इसी स्तर पर समाप्त किये जाने का आदेश दिया है, जो न्याय के नैसर्गिक सिद्धातों के विपरीत होकर अपास्त योग्य है। अतः अपील स्वीकार अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 20.12.2024 निरस्त फरमाया जावे।

10. उक्त बहस का खण्डन करते हुए अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने बताया कि यदि डिक्री नहीं बनी तो अपील में किस प्रकार आये। तनकी नम्बर 9 जो की कानूनी बिंदु पर कायम की गई थी, अपीलान्ट/वादीगण के विरूद्ध निर्णित हो जाने से वाद कानूनन चलने योग्य नहीं होने से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में कार्यवाही इसी स्तर पर समाप्त किया जाने का आदेश दिया है जो विधि सम्मत होने से अपील खारिज की जावे।

11. अभिभाषक उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। माननीय राजस्व मंण्डल ने दिनांक 24.04.2019 को निर्णय पारित करते हुए प्रकरण विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया कि वे कानूनी तनकी नम्बर 9 पर [illegible] की बहस सुनकर सर्वप्रथम आदेश पारित करें। माननीय राजस्व मंण्डल के आदेश की पालना में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण [illegible] दर्ज रजिस्टर कर तनकी नम्बर 9 "आया मिसल नम्बर 114/70 के निर्णय द्वारा श्री उंकारलालजी का अपने प्राकृतिक पिता की भूमियों [illegible] से नाम हटाया गया जिसके विरूद्ध कोई अपील अथवा एतराज नहीं किया गया

भू-प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर (राज.)

'जिससे वादीगण का इस प्रकरण में लोकस स्टैण्डाई नहीं होकर वादपत्र कानूनन चलने योग्य नहीं है।'' जिम्मे प्रतिवादी

उक्त तनकी पर उभयपक्ष की बहस सुनकर दिनांक 20.12.2024 को उक्त तनकी स्वीकार करते हुए प्रकरण में कार्यावाही इसी स्तर पर समाप्त किये जाने का आदेश पारित किया, जो माननीय राजस्व मण्डल के आदेशानुसार विधि सम्मत होने से हम उसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना आवश्यक नहीं समझते हैं। जहां तक अपीलान्ट की यह आपत्ति कि आदेश के साथ कोई डिक्री जारी नहीं की गई है, उचित प्रकट नहीं होता है, क्योकिं अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका के साथ डिक्री भी संलग्न है। तदनुसार अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज योग्य है।

12. अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 20.12.2024 यथावत रखी जाती है। तदनुसार डिक्री पर्चा जारी हो। निर्णय आज दिनांक 28.01.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावे।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सत्यमेव जयते ★ उदयपुर ★

28.1.26.

(कीर्ति राठौड़)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2026.02.10 14:48:40 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री व सीगे अपील

(ओ.41, रूल 35, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत............**भू.प्र.अ. एवं पदेन रा.अ.अ.**.........मुकाम..............**उदयपुर**............
व इजलास ....**कीर्ति राठौड़, आर.ए.एस.** ....

त्रिलोक नारायण पिता उंकारलाल पुरोहित ब्राह्मण, निवासी केलवा, हाल 21, कर्मशील मार्ग, चॉदपोल बाहर, उदयपुर व अन्य बनाम **जगदीशचन्द्र पिता अमरलाल पुरोहित ब्राह्मण, निवासी केलवा, तहसील व जिला राजसमन्द व अन्य**

अपील नं.......**04 / 2025**...........व नाराजगी डिगरी अदालत ....**उपखण्ड अधिकारी**........
...........**राजसमन्द**.......... मुकाम.................मुवर्खे..........**20**...............माह..............**12**.............**2024**

दावा बाबत

यह अपील व तारीख.........**28**.......माह.......**01**........सन् **2026** रूबरू.......**पक्षकारान** व हाजरी........**श्री विष्णु शंकर पालीवाल**........मिनजानिब अपीलान्ट व......**श्री महेश पगारिया** ....रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि......... **अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 20.12.2024 यथावत रखी जाती है।**

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग.....**X**.......)........रूपये .... **X**...... अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का.......................... **X** ....अदा करें ।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख..........**28**.....माह.........**01**............**2026** को जारी किया गया ।

28.1.26.

(कीर्ति राठौड़)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

खर्चा अपील

अपीलान्ट	रू0	पै0	रेस्पोन्डेन्ट	रू0	पै0
1. स्टाम्प अपील ... . 2. स्टाम्प वकालत नामा ..... 3. इजराय हुक्मनामा ...... 4. वकील फीस बाबत			1. स्टाम्प वकालत नामा... 2. स्टाम्प अर्जी .... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. मेहनताना वकील..........		
मीजान			मीजान		

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चा अपील का, चाहे डिक्री दिलाया गया हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2026.02.10 14:48:40 IST
Reason: SelfAttested